

संख्या 583 / सात लाई0-एस-86 / व्यवस्थापन / एमआरपी / देशी मदिरा / 2012-13 / 2015-16
प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: अप्रैल 17, 2015

विषय:- वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 16-04-2015 से प्रभावी आबकारी नीति को दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% वी/वी) की थोक आपूर्ति की दरें एवं अधिकतम फुटकर बिक्री (MRP) मूल्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया देशी मदिरा देशी मदिरा की थोक आपूर्ति दर का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन होने के दृष्टिगत इस कार्यालय पत्र संख्या-541/सात लाई0-एस-86/व्यवस्थापन/एमआरपी/देशी मदिरा/2012-13/2015-16 दिनांक 15-04-2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 16-04-2015 से अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा की थोक आपूर्ति दर व फुटकर आपूर्ति दर निर्गत की गई थी, मैं आंशिक संशोधित करते हुये अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% वी/वी) की थोक आपूर्ति की दरें एवं अधिकतम फुटकर बिक्री (MRP) मूल्य दर अस्थाई रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

S.No.	Particular	year 2015-16		
		750ML	375ML	180ML
1	Proposed Supply rates for the Year 2015-16 (Rs. Per pcs)	27.89	15.80	8.98
2	MGD @ 170 per BL for the year 2015-16	127.50	63.75	30.60
	Total	155.39	79.55	39.58
3	Incedence of Licence fee CL-5 5% of MGD	6.38	3.19	1.53
6	Total	161.77	82.74	41.11
7	Margin of CL-5 20%	32.35	16.55	8.22
8	Ex CL-5 Retail Sale Price	194.12	99.29	49.33
9	Proposed MRP (Rounded in 5/- Rupee) 2015-16	195.00	100.00	50.00

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(बी0एस0चौहान)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

584-587

संख्या / सात लाई0-एस-86 / व्यवस्थापन / एमआरपी / देशी मदिरा / 2012-13 / 2015-16: तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, (टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी आबकारी अधिकारी, आसवनी / सी0एल0-2 अनुज्ञापन, उत्तराखण्ड।
4. समस्त देशी मदिरा आपूर्तिक आसवनियां उत्तराखण्ड।

(बी0एस0चौहान)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून:दिनांक:अप्रैल 17, 2015

विषय:- वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 16-04-2015 से प्रभावी आबकारी नीति को दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% वी/वी) की थोक आपूर्ति की दरें एवं अधिकतम फुटकर बिक्री (MRP) मूल्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया देशी मदिरा देशी मदिरा की थोक आपूर्ति दर का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन होने के दृष्टिगत इस कार्यालय पत्र संख्या-541/सात लाई0-एस-86/व्यवस्थापन/एमआरपी/देशी मदिरा/2012-13/2015-16 दिनांक 15-04-2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 16-04-2015 से अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा की थोक आपूर्ति दर व फुटकर आपूर्ति दर निर्गत की गई थी, में आंशिक संशोधित करते हुये अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% वी/वी) की थोक आपूर्ति की दरें एवं अधिकतम फुटकर बिक्री (MRP) मूल्य दर अस्थाई रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

S.No.	Particuler	year 2015-16		
		750ML	375ML	180ML
1	Proposed Supply rates for the Year 2015-16 (Rs. Per pcs)	27.89	15.80	8.98
2	MGD @ 170 per BL for the year 2015-16	127.50	63.75	30.60
	Total	155.39	79.55	39.58
3	Incedence of Licence fee CL-5 5% of MGD	6.38	3.19	1.53
6	Total	161.77	82.74	41.11
7	Margin of CL-5 20%	32.35	16.55	8.22
8	Ex CL-5 Retail Sale Price	194.12	99.29	49.33
9	Proposed MRP (Rounded in 5/- Rupee) 2015-16	195.00	100.00	50.00

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(बी0एस0चौहान)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

5814-5817

संख्या / सात लाई0-एस-86 / व्यवस्थापन / एमआरपी / देशी मदिरा / 2012-13 / 2015-16:तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, (टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी आबकारी अधिकारी, आसवनी/सी0एल0-2 अनुज्ञापन, उत्तराखण्ड।
4. समस्त देशी मदिरा आपूर्तिक आसवनियां उत्तराखण्ड।

(बी0एस0चौहान)

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।